न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 90/2025 बउनवानी सरोज कुमार मीना बनाम तहसीलदार वजीरपुर
निवासी एच.एन.–1,ए–14 न्यू हाउसिंग बोर्ड फेज–2,खोडा गणेशजी रोड किशनगढ अजमेर
GCMS No-2025/ 247 Appeal Number- 321490697255561

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 26.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम किशोरपुरा के संतोषी मीना पुत्र रघुवर मीना, देवफूल पुत्र रामदेवा मीना, खाताधारक की खातेदारी भूमि पांचना बांध की नहर के लिए किस सन् म अधिग्रहित की गयी, कितना मुआवजा दिया गया, मुआवाजा राशि किस माध्यम से भुगतान की गयी तथा पेट्रोलियम विभाग द्वारा पाईप लाईन डालने के लिए किस वर्ष भूमि अवाप्त की गयी तथा कितनी मुआवजा राशि का किस प्रकार भुगतान किया गया एवं कब कब फसल खराबा हुआ तथा कितनी आर्थिक सहायत सरकार द्वारा संतोष,रघुवर,देवफूल को दी गयी सहित कुल 4 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना*" तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः भू0अ0/आरटीआई/2025/95 दिनांक 3.9.2025 एवं पत्रांक 833 दिनांक 12.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:39:20 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवा[illegible]पुर

Scanned with OKEN Scanner